

जुर्माना: 400 किलो नकली घी जब्त; इसी कारोबारी के यहां 6 साल पहले 900 किलो नकली घी मिला था

अशोकनगर



- सोमवार को हुई थी जब्त, पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

6 साल पहले जिस व्यवसायी की दुकान से 900 किलो घी अमानक मिला था, उस पर मात्र 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। सोमवार को एक बार फिर 400 किलो नकली घी मिला और इसे वहीं दुकानदार बना रहा था जो 6 साल पहले जुर्माना भरकर छूट गया था। इन सालों में कई अधिकारी आए लेकिन दुकानदार के यहां सैंपलिंग तक नहीं की। इस बार नकली घी के कारोबारी पर पुलिस ने न केवल कार्रवाई की बल्कि कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सोमवार को जिस दुकानदार को नकली घी बनाने की सामग्री के साथ पकड़ा गया उसके गोदाम पर 6 साल 11 माह पहले 60 टिन नकली घी जब्त किया गया था। इसके बाद सैंपलिंग में जब घी अमानक निकला तो दुकानदार पर मात्र 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। तब से फिर नकली घी का धंधा स्थान बदलकर संचालित हो रहा था। 6 साल 11 माह बाद जब कोतवाली में टीआई विवेक शर्मा फिर से पदस्थ हुए तो उनके पास राजीव जैन द्वारा नकली घी बनाने सूचना प्राप्त हुई। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 400 किलो घी जब्त किया।

खाद्य औषधि विभाग ने कराया था नष्ट

पुलिस कार्रवाई के बाद जब घी के सैंपलिंग रिपोर्ट अमानक निकली तो सभी जब्त टिन को पुलिस ने नष्ट करवा दिया था। इसके बाद एडीएम कोर्ट में उक्त व्यवसायी के ऊपर मात्र 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा कर फिर से मिलावटखोरी के लिए छूट दे दी गई थी।

ऐसे होती थी मिलावट: बाहर से माल मंगाना था दुकान में फिर यहां पर मिलावट करता था

बाहर से पाम ऑयल सहित अन्य सामग्री मिलाकर खुद के ब्रांड से बेचता था दुकानदार : टीआई विवेक शर्मा ने बताया कि उक्त दुकानदार के पास से दुकान में रखे लूज और टिन में रखे पैक घी को जब्त किया गया है। टीआई श्री शर्मा ने बताया कि उक्त दुकानदार द्वारा घी को खुद के नाम से पैकिंग कर बेचा जाता था। इस बार पुलिस ने खाद्य एवं औषधि विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए घी सुपुर्द किया है लेकिन कुछ सैंपल जांच के लिए एफएसएल टीम को भेजा है। बाहर से जो घी दुकानदार के पास आता है उसकी कीमत कम होती है, बाजार में अपना ब्रांड बनाकर उसको असली घी की कीमत पर बेचा जा रहा था।

ये सामग्री की जब्त

पुलिस कार्रवाई में 27 टिन नकली घी, वनस्पति तेल, सोयाबीन तेल, खाली भगोने, खाली टिन, पॉलिथीन पैकेट, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर सहित इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा बरामद किया है। बरामद किए गए सामान की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है।

सवाल: इतनी खपत, खाद्य एवं औषधि विभाग को पता नहीं चला

शहर के बीच बाजार में लंबे समय से नकली घी का कारोबार फल फूल रहा था। इसकी भनक जिम्मेदार विभाग को नहीं लगी यह इस विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। जब इस बारे में खाद्य निरीक्षक विष्णु दत्त शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जहां पर पहले अमानक घी पकड़ा गया था वहां कुछ नहीं मिला था। इसके बाद नई जगह जहां काम चल रहा है उसकी जानकारी नहीं मिली।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/ashoknagar/news/400-kg-of-fake-ghee-seized-900-kg-of-fake-ghee-was-found-in-this-business-6-years-ago-128040251.html>